

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 79 / 2015

भगवानसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचासत ऐचेंरा 1/2 भाग तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर
दिनांक 24-11-2015

निर्णय

दिनांक 4.6.2018

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 24-11-2015 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं प्रतिभूति राशि 1000/-रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट द्वारा आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित नहीं, कई बार आवाज लगवाई गई अपीलान्ट या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर ने 1.15 कि. गेहू एवं 36 लीटर कैरोसीन 17किलो 800 ग्राम चीनी का दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,8,11,15,17सी व 18 का उलंघन किया है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गोर किया गया। अपीलान्ट या उसके वकील का उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नही कहना है। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर

द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,8,11,15, 17सी व 18 का उलंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।



(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official